28.03.18 पत्रावली प्रस्तुत हुयी अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील मीमो पर कार्यालय टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है। दर्ज की जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी से प्रार्थना पत्र स्थगन पर एकतरफा अंतरिम रूप से सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 03.04.18 को पेश हो।

03/4/18 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है, जिसमे अपीलार्थी के पास अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचीत प्रतीत नही होता है, किन्तु चूंकी अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण अपीलार्थी की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचीत प्रतीत होने से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि मे गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नही रहने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी